

केन्द्रीय सूचना आयोग
वावा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/256
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00224
CICOM/R/2018/00341

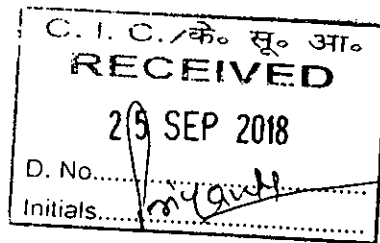
दिनांक: 25.09.2018

अपीलकर्ता : श्री रामनाथ, पुत्र - स्व० श्री फागू,
पुराना गोरखपुर (माली टोला),
थाना व पो० - गोरखनाथ,
जिला - गोरखपुर, उत्तर प्रदेश - 273015.

निर्णय की तारीख : 25.09.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	08.03.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	04.04.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री टी. के. महापात्र
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	13.09.2018
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	456/24.09.2018 (3073/20.09.2018)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 08.03.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से दो बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री टी. के. महापात्र, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है।
2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के उक्त संदर्भित आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री टी. के. महापात्र, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा पत्र सं. CICOM-R-2018-00341-SA-053 दिनांक 04.04.2018 के माध्यम से प्रदान की गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुसार है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही यह भी उल्लेख किया जाता है कि द्वितीय अपील की सुनवाई, निर्णय/आदेश जारी करने तथा निर्णय/आदेश की रिव्यू में प्रथम अपीलीय अधिकारी की कोई भूमिका नहीं होती है।
4. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।
5. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, वावा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।



(आर. के. सिंह)

अपर सचिव एवं

प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, के.सू.आ., नई दिल्ली।
25/09/18